ऋण-सह-बंधक अनुबंध

यह अनुबंध ____________________________ पर __________________ को उन व्यक्तियों के बीच किया गया है, जिनका (जिनके) नाम और पता (पते) नीचे भाग एक की अनुसूची (जिसे इसके बाद "ऋणी" कहा गया है) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार है (हैं), गारंटीकर्ता (गारंटीकर्ताओं), जिनके विवरण इसके आगे अनुसूची (जिन्हें इसके बाद गारंटीकर्ता कहा गया है) में निर्दिष्ट किए गए हैं, और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित तथा RBI Act, 1934 के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय के रूप में पंजीकृत कंपनी M/s बुसान ऑटो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Bussan Auto Finance India Private Limited), जिसका पंजीकृत और प्रधान कार्यालय 4था तल, वीडियोकॉन टॉवर, ई-1, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 भारत में और एक शाखा कार्यालय तीसरे भाग की अनुसूची (जिसे बाद में "BAF" कहा गया है) में निर्दिष्ट किए गए स्थान पर है.

व्यंजकों- "ऋणी"), "गारंटीकर्ता") और "BAF" में, जब तक संदर्भ के लिए असंगत नहीं हों, उनके संबंधित कानूनी वारिस, प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, कार्यकारी, व्यवस्थापक और असाइनी आदि शामिल होंगे.

जहां ऋणी (ऋणियों), "गारंटीकर्ता (गारंटीकर्ताओं)" ने "BAF" से वाहन खरीदने के लिए वित्त/ऋण सुविधा (जिसे आगे "ऋण सुविधा" कहा गया है) हेतु, जिसे उसके लिए निर्धारित उद्देश्य की अनुसूची में और भी विशेष रूप से वर्णित और निर्धारित किया गया है, संपर्क और अनुरोध किया है और "BAF", ऋण सह बंधक अनुबंध में प्रदर्शित नियमों और शर्तों के अनुसार, अनुसूची में निर्दिष्ट सीमा (सीमाओं) तक ऋण प्रदान करने के लिए सहमत है.

अब पक्षों द्वारा और उनके बीच निम्न बातें स्वीकार की गई हैं और इनमें उनकी सहमति है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 इस अनुबंध में, निम्न आशय लागू होंगे:

"अनुबंध" का अर्थ है, वाहन के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु ऋण अनुबंध जिसका विवरण विशेष रूप से अनुसूची में किया गया है और जिसमें अनुबंध के संबंध में निष्पादित सभी दस्तावेज़ शामिल हैं.

"BAF" का अर्थ है, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी बुसान ऑटो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Bussan Auto Finance India Private Limited), जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी किया गया है और जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है और जो अनुसूची में उल्लिखित स्थान पर अपने शाखा कार्यालय के माध्यम से इन प्रस्तुतियों पर कार्रवाई करता है.

"ऋणी" का अर्थ है, ऐसे एक या अधिक व्यक्ति/संस्थाएं जिनका (जिनके) नाम और पता (पते) इस अनुबंध की अनुसूची में दिया गया है (दिए गए हैं), जो ऋण सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जो ऋणियों के रूप में इस अनुबंध को निष्पादित करते हैं) और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा यह अनुबंध व्यक्तिगत रूप से किया गया माना जा रहा है और एक से अधिक ऋणी होने की स्थिति में, वे सभी इसके तहत दायित्वों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से सहमत हुए हैं.

"गारंटीकर्ता" का अर्थ है, ऐसे एक या अधिक व्यक्ति/संस्थाएं जिनका (जिनके) नाम और पता (पते) इस अनुबंध की अनुसूची में दिया गया है (दिए गए हैं), जो ऋणी द्वारा इस अनुबंध के तहत ली गई ऋण सुविधा का भुगतान करने की और दायित्वों को चुकाने की और गारंटीकर्ता के रूप में स्वयं इस अनुबंध का निष्पादन करने की गारंटी दे रहा है) और जिनमें से प्रत्येक द्वारा यह अनुबंध व्यक्तिगत रूप से किया गया माना गया है और एक से अधिक गारंटीकर्ता होने की स्थिति में वे सभी इसके तहत दायित्वों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग स्वयं के और ऋणी (ऋणियों) के दायित्वों का भुगतान करने पर सहमत हुए हैं.

"ऋणदाता शाखा" का अर्थ है अनुसूची में उल्लिखित स्थान पर मौजूद "BAF" का शाखा कार्यालय.

"EMI" या "समीकृत मासिक किस्त" का अर्थ है कि ऋणी द्वारा हर माह "BAF" को देय वह राशि, जो देय संपूर्ण धनराशि (ऋण सुविधा की अवधि के लिए जमा मूलधन तत्व और ब्याज तत्व, जिसका परिकलन दैनिक आधार पर किया गया है और जिसे स्वीकृत दर पर मासिक शेष पर लागू किया गया हो) को अनुसूची में बताई गई किस्तों की कुल संख्या से समान रूप से विभाजित करके प्राप्त होती है और जिसे रुपए की अगली संख्या तक पूर्ण बनाया गया हो.

"ऋण सुविधा" का अर्थ है, कि वाहन खरीदने के लिए इस अनुबंध की शर्तों के संदर्भ में "BAF" द्वारा स्वीकृत/अनुमत ऋण/वित्त सुविधा जिसका विवरण अधिक विशेष रूप से इस अनुसूची में किया गया है: और व्यंजक "ऋण" में इसके संदर्भ के लिए आवश्यक होने पर इसके अर्थ में इस अनुबंध के उपबंधों को लागू करने के बाद उपार्जित सभी देय राशियां और इस ऋण सुविधा के तहत मूलधन की बकाया राशि भी शामिल होगी,

"डिफ़ॉल्ट ब्याज दर", अनुसूची में बताए गए अनुसार ऋणी द्वारा "BAF" को देय और भुगतान योग्य होने पर ऋण खाते पर लगाई गई डिफ़ॉल्ट रूप में EMI और अन्य शुल्कों, लागतों, शुल्कों, व्ययों इत्यादि पर उपार्जित ब्याज की गणना करने के लिए ब्याज की स्वीकृत दर.

"पक्षों" का अर्थ है, "BAF" और सामूहिक रूप से संदर्भित ऋणी.

"वाहन" का अर्थ है, इस अनुबंध की अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित वह वाहन, जिसे खरीदने के लिए, "BAF" द्वारा ऋण सुविधा प्रदान की गई है.

"अनुसूची" का अर्थ है, इस अनुबंध की अनुसूची.

1.2 इस अनुबंध में, संदर्भ के लिए आवश्यक होने पर एकवचन में बहुवचन और पुल्लिंग में स्त्रीलिंग भी शामिल होंगे.

1.3 किसी व्यंजक को यहां परिभाषित नहीं किए जाने की स्थिति में, अगर उसे सामान्य उपधाराएं अधिनियम 1897 में परिभाषित किया गया है, तो उसका आशय कथित अधिनियम के तहत असाइन किए गए अर्थ के अनुसार होगा.

1.4 इस अनुबंध में निहित उपबंधों की व्यवस्था का उनकी व्याख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं होगा. उपबंध के शीर्षक केवल सुविधा के उद्देश्य से शामिल किए गए हैं और इनका उनके प्रावधानों की व्याख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं होगा.

2. "BAF" ऋण प्रदान करने पर सहमत है और ऋणी, ऋण लेने पर सहमत है

2.1 "BAF", ऋणी और गारंटीकर्ता के ऋण-सुविधा के संबंध में ऋणी द्वारा इसमें शामिल संयुक्त अनुरोध, प्रतिनिधित्व, वारंटियों, प्रतिज्ञापत्रों और वचनपत्रों के आधार पर और ऋण-सुविधा के आवेदन और ऋणी द्वारा निष्पादित या जमा किए गए अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर, ऋणी को ऋण प्रदान करने पर सहमत है और ऋणी, इस अनुबंध और इसकी अनुसूची में पूरी तरह शामिल नियमों और शर्तों पर वाहन खरीदने हेतु "BAF" से ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए सहमत है.

2.2 "BAF" और ऋणी के बीच संबंध और ऋणदाता और ऋणी का संबंध, इस अनुबंध के दिनांक से आरंभ हो जाएगा और तब तक बना रहेगा जब तक कि इसे ऋणी की ओर से डिफ़ॉल्ट होने के कारण निर्धारित या समाप्त नहीं किया जाता है और इससे इसके तहत ऋणी के दायित्वों का निर्धारण किया जाना जारी रहेगा जब तक कि इस अनुबंध और इससे संबंधित सभी दस्तावेज़ों के तहत ऋणी द्वारा "BAF" को देय और भुगतान योग्य बकाया संपूर्ण धनराशियों का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता है और उन्हें "BAF" द्वारा प्राप्त नहीं कर लिया जाता है.

3. ऋण/वित्त सुविधा प्रदान करना-

"BAF", जब तक कि ऋणी और "BAF" के बीच अन्यथा सहमति न बने, ऋणी को ऋण-सुविधा प्रदान करेगा और एकमुश्त या "BAF" द्वारा तय की गई उपयुक्त किस्तों में आपूर्तिकर्ता/डीलर के नाम पर या ऋणी के लिए और उनकी ओर से आपूर्तिकर्ता/डीलर के साथ पारस्परिक समायोजन/व्यवस्था के अनुसार ऋण-राशि संवितरित करेगा और रसीद प्राप्त करेगा तथा ऋणी को वाहन की डिलीवरी के साथ-साथ ऋण सह बंधक अनुबंध निष्पादित हो जाएगा.

3.1 "BAF" के पास अपने पूर्ण विवेक से ऋण सुविधा प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित है और वह आमतौर पर ऋण-सुविधा के तहत कोई भी राशि तब तक जारी नहीं करेगा, जब तक :-

क. ऋण सह बंधक अनुबंध "BAF" द्वारा उचित रूप से निष्पादित करके ऋणी को डिलीवर नहीं कर दिया जाता है:

ख. ऋणी द्वारा, पुनर्भुगतान किस्तों के रूप में आगामी दिनांकों के चेक "BAF" को सबमिट कर दिए जाते हैं

ग. ऐसे अन्य दस्तावेज़ या लिखित स्वीकृति, जो "BAF" के पूर्ण विवेक से उनके लिए आवश्यक हों, उन्हें सबमिट नहीं किया जाता है.

4. ब्याज और ऋण की राशि

4.1 ऋणी, इस अनुबंध की अनुसूची के अनुसार ऋण की राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत है.

4.2 ऋणी को वाहन की डिलीवरी के साथ-साथ ऋण/वित्त सुविधा पर अनुबंध के दिनांक से ब्याज उपार्जित होना आरंभ होगा

4.3 ऋण की राशि पर ब्याज की गणना प्रतिफल की आंतरिक दर पर मासिक शेष के आधार पर की जाएगी.

4.4 ऋणी, सेवा कर, अगर कोई हो, सहित किसी भी नाम से लगाए गए सेवा शुल्कों, संसाधन शुल्क और किसी भी अन्य शुल्कों, उपकर, प्रभारों, लेवी को पूरी तरह वहन करेगा और अगर इनका भुगतान BAF द्वारा किया जाता है, तो ऋणी, "BAF" को इनकी प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है

4.5 "BAF" को इस अनुबंध के तहत ऋणी की ओर से देय और भुगतान योग्य सभी राशियों के लिए ऋणी के खाते पर शुल्क लगाने/डेबिट करने का अधिकार है (इसमें परिसीमन रहित रूप से "BAF" द्वारा प्रदान की गई ऋण-सुविधा के संबंध में व्यय किए गए ब्याज पर कर, शुल्क, प्रभार, स्टैम्प ड्यूटी, संसाधन शुल्क, लॉग इन फ़ीस, लागतें, सेवा/और अन्य अन्य शुल्क/व्यय शामिल है, जब तक कि इनकी प्रतिपूर्ति ऋणी द्वारा "BAF" को पृथक रूप से नहीं की गई हो/"BAF" द्वारा इन्हें अग्रिम रूप से ऋणी से प्राप्त नहीं किया गया हो. ये राशियां ऋण का भाग बनाएंगी.

4.6 ऋण खाते पर लगाए गए EMI की बकाया राशि, लागतों, प्रभारों, शुल्कों, व्ययों इत्यादि सहित भुगतान के लिए डिफ़ॉल्ट वाली राशियों (उदा. जिनका भुगतान देय होने पर "BAF" को नहीं किया गया था), पर ब्याज/प्रभार ऐसे ब्याज और दंड प्रभार लगाए जाने का कोई भी कारण बताने की आवश्यकता के बिना ब्याज की डिफ़ॉल्ट दर से लगाए जाएंगे.

5. पुनर्भुगतान

5.1 ऋण (मूलधन, उस पर ब्याज और अन्य सभी प्रभारों, प्रीमियम, शुल्कों, करों, लेवी या इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऋणी द्वारा "BAF" को देय भुगतान योग्य अन्य बकाया राशियों सहित) का पुनर्भुगतान ऋणी द्वारा किया जाएगा :-

क. मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए अनुसूची में उल्लिखित किए गए अनुसार समीकृत मासिक किस्तों (EMI) आगामी दिनांकों के चेक/ECS के द्वारा किया जाएगा; और ऋणी, ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आगामी दिनांकों के चेक/ ECS अधिकार-पत्र देने पर सहमत है और वह/वे इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है/हैं कि चेक/ECS अधिकार-पत्र का अनादरण कानून के तहत एक आपराधिक कृत्य है. ऋणी अपना/अपने बैंक खाते को बनाए रखने का वचन देता है और वह इस ऋण सह बंधक अनुबंध के जारी रहने के दौरान अपने बैंक खाते को बंद नहीं करेगा/करेंगे;

ख. अनादृत चेक या ECS अधिकार-पत्र पर भुगतान नहीं होने के बदले या अन्यथा शाखा पर देय या भुगतान योग्य होने पर नकद के माध्यम से (या ऐसे किसी भी अन्य स्थान पर जिसकी सूचना "BAF" द्वारा दी जा सकती है) भुगतान करेगा

5.2 ऋणी, ऋण खाते पर लगाई गई EMI और अन्य प्रभारों, लागतों, शुल्कों, व्ययों इत्यादि का भुगतान तब तक जारी रखने पर सहमत है, जब तक ऋण के अंतर्गत देय सभी राशियों का पूर्ण पुनर्भुगतान "BAF" को नहीं हो जाता है.

5.3 पुनर्भुगतान का आरंभ, ऋणी को वाहन की डिलीवरी मिलने के तत्काल बाद पुनर्भुगतान शेड्यूल के अनुसार हो जाएगा. पुनर्भुगतान योजना/शेड्यूल का सख्त अनुपालन इस ऋण सुविधा की अनुमति की अत्यावश्यक शर्त है.

5.4 ऋणी को EMI के प्रत्येक देय दिनांक पर EMI का नियमित रूप से भुगतान करने के उसके/उनके दायित्व के संबंध में कोई नोटिस/अनुस्मारक या सूचना नहीं दी जाएगी. "BAF" को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का उसका/उनका पूर्ण दायित्व होगा. किसी भी EMI का भुगतान करने में विलंब या डिफ़ॉल्ट होने पर ऋणी, "BAF" को अनुसूची में उल्लिखित किए अनुसार (ऐसे डिफ़ॉल्ट की अवधि के लिए) डिफ़ॉल्ट ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए देय होगा, इसके साथ ही इससे डिफ़ॉल्ट होने का ईवेंट बनाया जाएगा, जिससे BAF को इस अनुबंध के तहत सभी देय और भुगतान योग्य राशियों का भुगतान "BAF" को तत्काल करने के लिए अनुबंध का निर्धारण करने/उसे समाप्त करने का अधिकार होगा.

5.5 पुनर्भुगतान की अवधियों के पहले पुनर्भुगतान करने पर अनुसूची में बताए अनुसार पूर्व-भुगतान प्रभार लगाए जाएंगे.

5.6 ऋणी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कथित वाहन कार्यशील स्थिति में बना रहे या नहीं या उसके लिए कोई मरम्मत आवश्यक हो या अन्यथा वह संचालनीय न हो, अनुसूची में उल्लिखित किए गए अनुसार "BAF" को EMI का पुनर्भुगतान करना तब तक जारी रखेगा, जब तक वह "BAF" को देय और बकाया रहती है, और "BAF", कथित वाहन की मरम्मत या गैर-निष्पादन के लिए किसी भी प्रकार से दायी या जिम्मेदार नहीं होगा.

5.7 वाहन की हानि, चोरी या विनाश भी अनुसूची के अनुसार EMI का भुगतान करने से बचने या उसे विलंबित करने का किसी भी स्थिति में कोई भी कारण या आधार नहीं होंगे, इनसे यहां शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार ऋण का पुनर्भुगतान करने का ऋणी का दायित्व न तो कम होता है, ना ही इनसे इस अनुबंध की निरंतरता प्रभावित होगी. ऐसी किसी भी घटना के बावज़ूद ऋणी, EMI का भुगतान समयबद्ध और नियमित रूप से करने के लिए सहमत है.

5.8 अगर उपरोक्त उपबंधों के संबंध में ऋणी द्वारा BAF को डिलीवर किया गया कोई भी या सभी PDC/दिए गए ECS अधिकार पत्र:

क) BAF के अधिकार में होने के दौरान गुम, नष्ट या खो जाता है/जाते हैं,

ख) किसी हस्ताक्षरकर्ता या किसी भी या अधिक हस्ताक्षरकर्ताओं (एक से अधिक होने पर) की मृत्यु, दिवालिया होने, पागलपन, अधिकार-समाप्त होने के कारण या आदेशक बैंक के परिसमापन या अधिस्थगन के कारण नकद-राशि प्राप्त करने के अयोग्य हो जाते हैं.

तो ऐसी स्थिति में ऋणी (या उत्तराधिकारी) या पैरा में बताए अनुसार लागू किसी आकस्मिकता की स्थिति में ऋणी का कानूनी प्रतिनिधि BAF की ओर से ऐसी हानि, विनाश या उनके खो जाने की सूचना प्राप्त होने पर (जैसा भी मामला हो), या ऐसे कथित चेक के नकद में परिवर्तन-योग्य न रह जाने पर, BAF को उतनी ही संख्या में चेक प्रदान करेगा, जो गुम हुए, नष्ट हुए या खो चुके या नकद में परिवर्तन-योग्य नहीं रह गए चेक को प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त हों, या ऋण के पुनर्भुगतान के लिए ऐसी उपयुक्त व्यवस्था करेगा जो BAF के लिए स्वीकार-योग्य हो और उसके द्वारा अनुमोदित हो.

ग) यह ऋणी को स्वीकार है और उसने समझ लिया है कि BAF द्वारा किसी भी कारण चेक प्रस्तुत नहीं किए जाने या ECS अधिकार पत्र का उपयोग नहीं किए जाने से, चाहे वह किसी भी कारण हो, BAF को ऋण का पुनर्भुगतान करने का ऋणी का दायित्व प्रभावित नहीं होगा, BAF नकदीकरण में विलंब, चूक या लापरवाही के लिए किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगा. ऋणी ऐसे सभी चेक का भुगतान होने के लिए हर समय अपने खाते में हमेशा पर्याप्त धनराशि बनाए रखेगा/रखेंगे जो देय और भुगतान योग्य हो रहे हैं.

घ) इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि अगर ऋणी द्वारा जारी किए गए चेक अनादृत हो जाते हैं और उन्हें फिर से प्रस्तुत किया जाता है और उनका भुगतान हो जाता है लेकिन इसके बीच अनादृत हुए चेक के बदले नकद राशि जमा कर दी जाती है, तो BAF ऐसे दोहरे भुगतान के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. हालांकि, अतिरिक्त भुगतान की धनवापसी या समायोजन, पक्षों के बीच पारस्परिक निपटान के अनुसार किया जाएगा.

बुसान ऑटो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Bussan Auto Finance India Private Limited) के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

☞ ऋणी	✗ सह-ऋणी	✓ गारंटीकृता

✓ गारंटीकृता

✗ सह-ऋणी

☞ ऋणी

ङ) किसी भी क्षति या किसी चेक (ऋणी द्वारा BAF को यहां उल्लिखित शर्तों के अनुसार पहले से ही दे दिए गए) के किसी भी कारण खो जाने, चाहे वह कुछ भी हो, या विलंब इत्यादि का अर्थ किसी भी प्रकार से BAF को प्राप्त किसी भी अधिकार में किसी भी तरह से कटौती नहीं होगी, चाहे वह कोई भी हो.

6. जमानत और बंधक-ऋण

6.1 "BAF" द्वारा दी गई ऋण-सुविधा के प्रतिफल में ऋणी, "BAF" को देय और उसे भुगतान योग्य ऋण, ब्याज और अन्य धनराशियों के पुनर्भुगतान के लिए एतद्वारा उस वाहन को "BAF" के पक्ष में बंधक और प्रभार पर रखता है जिसका वर्णन इस अनुबंध की अनुसूची में और अधिक विशेष रूप से किया गया है

6.2 ऋणी, संगत सड़क परिवहन कार्यालय में "BAF" के पक्ष में पंजीकरण प्रमाणपत्र पुस्तिका में किए गए बंधक अनुबंध का पृष्ठांकन करने का वचन देता/देते हैं.

6.3 वाहन का बंधक-अनुबंध BAF की देय राशियों के लिए प्राथमिक और अनन्य प्रभार होगा. बंधक-अनुबंध को पंजीकरण प्रमाण-पत्र पर बंधक-अनुबंध के पृष्ठांकन के दिनांक पर ध्यान दिए बिना इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर या वाहन की डिलीवरी पर, जैसी कि स्थिति हो, जो भी पहले हो, तत्काल लागू माना जाएगा.

6.4 उचित रूप से पृष्ठांकित R.C. पुस्तिका की डिलीवरी की जिम्मेदारी (बंधक ऋण के पृष्ठांकन के साथ) BAF की नहीं होगी और यह कि ऋणी निर्धारित EMI का भुगतान इस तर्क के आधार पर नहीं रोकेगा कि R.C. पुस्तिका डिलीवर नहीं की गई है और इस संबंध में संपूर्ण जिम्मेदारी ऋणी की होगी).
हालांकि ऋणी एतद्वारा इस बात पर सहमत हैं, कि बंधक-ऋण का पृष्ठांकन पूर्ण होने में उसकी/उनकी विफलता की स्थिति में BAF के पास पंजीकरण प्राधिकारी, विक्रय/VAT कर अधिकारी और अन्य प्राधिकारियों के सामने प्राधिकृत व्यक्तियों या प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होने का अधिकार और प्राधिकार (जैसा कि दायित्व से स्पष्ट है) होगा, जैसा कि "BAF" द्वारा आवश्यकता होने पर इस बंधक-ऋण के पृष्ठांकन को पंजीकरण प्रमाणपत्र में प्रभावी बनाने और वाहन को अंतरित करने के लिए आवश्यक हो.

6.5 ऋणी BAF की उन सभी दावों और प्रभारों के लिए पूर्ति करने का वचन देता है, जो वाहन के उपयोग/दुरुपयोग और/या किसी भी अन्य कारण से देय या भुगतान-योग्य होते हैं, चाहे वे कोई भी हों.

6.6 ऋणी, ऋण-सुविधा के लिए ऐसे किसी भी बॉड, प्रोमिसरी नोट और ऐसे सभी दस्तावेज़ों, अधिकार-पत्रं/वचन-पत्रों और अनुबंधों का निष्पादन करेगा, जिन्हें "BAF" द्वारा दी गई ऋण-सुविधा के पुनर्भुगतान प्राप्त करने के लिए इस ऋण के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय आवश्यक बनाया जाता है.

7. ऋणी के प्रतिनिधित्व, वारंटियां, प्रतिज्ञा-पत्र और वचन-पत्र

7.1 ऋणी उसे ऋण-सुविधा प्रदान करने हेतु "BAF" को प्रेरित करने के लिए एतद्वारा "BAF" को यह प्रतिनिधित्व/वारंटी/प्रतिज्ञा-पत्र/वचन-पत्र देता है कि उसने-

(क) "BAF" को स्वयं के बारे में पूर्ण और सटीक जानकारी और विवरण प्रदान किया है और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ी/छिपाई नहीं गई है;

(ख) ऋणी, वाहन की डिलीवरी के संबंध में किसी भी दायित्व; वाहन के किसी भी दोष से BAF को मुक्त करता है और डिलीवरी लेने के पहले वाहन की स्थिति की जांच करने का दायित्व ऋणी का स्वयं का होगा और ऋणी इस तर्क के आधार पर निर्धारित EMI और अन्य लागतों, प्रभारों, शुल्कों, व्ययों इत्यादि अगर कोई हो, का भुगतान नहीं रोकेगा कि वाहन की डिलीवरी नहीं की गई थी या यह कि उसे सही स्थिति में डिलीवर नहीं किया गया था;

(ग) हालांकि, अगर वाहन की डिलीवरी या डिलीवरी न होने से संबंधित किसी धोखाधड़ी में ऋणी/गारंटीकर्ता की संलग्नता होने का पता चलता है, तो ऋणी और गारंटीकर्ता इस प्रकार जिम्मेदार होंगे जैसे कि वाहन वास्तव में ऋणी को डिलीवर किया गया था.

(घ) उसे "BAF" के पक्ष में बंधक के रूप में चिह्नित अंतिम इनवॉइस उचित रूप से प्राप्त होगा और उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत उचित पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत वाहन प्राप्त होगा और वह पंजीकरण के दस्तावेज़ों पर "BAF" के बंधक-ऋण को पृष्ठांकित करना सुनिश्चित करेगा और इसके तुरंत बाद "BAF" को उचित रूप से प्रमाणित पंजीकरण के प्रमाणपत्रों की प्रति की, नए पंजीकरण की आवश्यकता होने की स्थिति में, ऋणी यह वचन देता है कि इसका पृष्ठांकन "BAF" के पक्ष में बंधक ऋण निर्धारित करने के लिए समान रूप से किया जाएगा;

(घ) वह "BAF" को सूचित किए बिना और उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए बिना वाहन के किसी भी डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन नहीं करेगा और डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण-पत्र में बंधक-ऋण चिह्नित करना सुनिश्चित करेगा;

(ङ) अनुबंध की अवधि के दौरान, वाहन की जमानत पर "BAF" की पूर्व लिखित सहमति के बिना आगे किसी भी ऋण या सुविधा का लाभ नहीं उठाएगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा, ना ही वह वाहन को किसी भी तरीके से प्रभारित करेगा;

(च) बंधक रखे गए वाहन और इस अनुबंध, प्रत्येक संपार्श्विक दस्तावेज़ और इस अनुबंध के तहत आवश्यक दायित्वों के निष्पादन के संबंध में, मोटर वाहन अधिनियम 1988 सहित भारा के कानूनों द्वारा आवश्यक प्राधिकार, अनुमोदन, सहमति, बीमा, लाइसेंस अनुमतियां और नवीनीकरण को पूरी तरह बनाए रखने और प्रभावी बनाने के लिए वह सभी कुछ प्राप्त करेगा और सभी आवश्यक कार्रवाइयां करेगा;

(छ) इस अनुबंध की अवधि के लिए वाहन का विस्तृत बीमा करेगा और तृतीय पक्ष बीमा वाहन-बीमा सहित सभी हानियों या क्षतियों, दुर्घटना, आग, फसाद, भूकंप, नागरिक उत्पात, चोरी और आमतौर पर बीमा द्वारा कवर किए जाने वाले ऐसे अन्य सभी जोखिमों के लिए, जिनकी आवश्यकता "BAF" को कथित वाहन का बीमा करने के लिए हो सकती है, बीमा (उसके पूर्ण प्रतिस्थापन मूल्य के लिए) उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ बनाए रखेगा, जिसका अनुमोदन "BAF" द्वारा प्रतिबंध रहित या किसी भी जोखिम को अपवर्जन या आधिक्य के रूप में अपवर्जित किए बिना बीमा की विस्तृत पॉलिसी के तहत किया जाएगा और "BAF" को इसमें पूर्ण हिताधिकारी बनाया जाएगा और बनाए रखा जाएगा. कथित बीमा पॉलिसी, ऋणी के नाम पर ली जाएगी जिस पर "BAF" के दावे का पृष्ठांकन रिकॉर्ड किया गया हो और ऋणी, पिछली अवधि के लिए बीमा पॉलिसी की समय-सीमा समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर बीमा के नवीनीकरण के संबंध में "BAF" को सूचित करेगा, हालांकि अगर वाहन का बीमा नहीं किया जाता है, तो इसे इस अनुबंध के तहत "BAF" के अधिकारों और पात्रता को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा, ना ही यह "BAF" के लिए किसी भी प्रकार का दायित्व/अक्षमता उत्पन्न करके "BAF" को किसी जोखिम में डालेगा, क्योंकि यह ऋणी की जिम्मेदारी बनी रहेगी;

(ज) वह "BAF" के पास ऋण-सुविधा की अवधि के लिए बाद के वर्षों हेतु बीमा पॉलिसी/नवीनीकरण पॉलिसी प्राप्त होने पर उसकी प्रतिलिपियां भी जमा करवाता रहेगा और वही, कथित पॉलिसी के तहत देय सभी प्रीमियम और अन्य राशियां देय होने पर उनका समयबद्ध रूप से भुगतान करेगा और बीमा पॉलिसी को पूर्ण रूप से चालू और प्रभावी बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और ऐसा कोई भी कार्य करने से बचेगा जिससे कथित पॉलिसी समाप्त हो;

(झ) जहां ऋणी ऐसा करने में डिफ़ॉल्ट होता है, वहां "BAF" अपने विवेक से (हालांकि यह बाध्यकारी नहीं है) कथित वाहन का बीमा करवा सकता है और ऋणी के द्वारा की जा सकने वाली अन्य कार्रवाइयों से प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न किए बिना ऋणी से लागत वसूल कर सकता है;

(ञ) कोई बीमा दावा मिलने पर वह राशि सबसे पहले "BAF" के साथ ऋणी के ऋण खाते का निपटान करने के लिए दी जाएगी और केवल शेष राशि, अगर कोई हो, तो उसकी धनवापसी ऋणी को की जाएगी और बीमा राशि, "BAF" को देय राशि से कम होने की स्थिति में ऋणी तुरंत उसे कथित घाटे की राशि का भुगतान करने के लिए देगा;

(ट) कथित वाहन के उपयोग या स्वामित्व ऋणी का होने के कारण कथित वाहन के संबंध में, वाहन को होने वाली किसी भी दुर्घटना के कारण होने वाले तृतीय-पक्ष दावे के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व से BAF को सुरक्षित और दोषमुक्त रखेगा और कथित वाहन के लिए उसकी किसी भी देय राशि की वसूली हेतु वाहन को बंधक रखने की दृष्टि से कथित वाहन से BAF का कोई भी संबंध सीमित माना जाएगा और BAF की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

(ठ) किसी भी बलाघात या दैवीय प्रकोप से वाहन को होने वाली किसी भी हानि या क्षति होने पर "BAF" को ऐसी हानियों या क्षतियों की त्वरित सूचना देगा;

(ड) (एक से अधिक ऋणी होने की स्थिति में) इस अनुबंध के तहत देय और भुगतान योग्य ऋण सुविधा, ब्याज और अन्य सभी राशियों का पुनर्भुगतान करने के लिए और इसके नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे;

(ढ) इस अनुबंध की संपूर्ण अवधि तक वाहन को अच्छी और सर्विस करने योग्य स्थिति में बनाए रखेगा और ऐसी सभी मरम्मत तुरंत करवाएगा, जो इसके सहज संचालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं और इसकी स्थिति बिगड़ने नहीं देगा या ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो इसके लिए विनाशकारी हो या इसे उपयोग के लिए अनफ़िट बना दे, ना ही ऐसा कोई कार्य करेगा, जिससे "BAF" के पक्ष में इसकी सुरक्षा अपर्याप्त हो जाए;

(ण) वाहन से संबंधित सभी दरों, करों, उपकरों, शुल्कों, आउटगोइंग लागतों और प्रभारों का भुगतान करेगा और उन्हें जारी करेगा;

(त) इस समझौते की अवधि के दौरान, वाहन के कब्जे से पृथक नहीं होगा या वाहन या उसके किसी भाग पर तृतीय-पक्ष अधिकार और/या हित उत्पन्न नहीं करेगा (चाहे वह बिक्री, विनिमय, पट्टे पर देने, बंधक, समझौते या ऑप्शन द्वारा या अन्यथा हो);

(थ) अपने निवास के पते या रोज़गार में या ऐसे किसी भी परिसर, जिसमें वाहन को आमतौर पर रखा जाता है, यहाँ होने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन की सूचना ऐसे परिवर्तन के दिनांक से 10 दिनों के अंदर, रजिस्टर्ड AD पोस्ट से "BAF" को देने का वचन देगा.

(r) रोज़गार, कॉलिंग/व्यवसाय के लिए भारत को छोड़ने के पहले या अधिक अवधि तक विदेश में रुकने के पहले ऋण, पूर्व-भुगतान शुल्कों सहित, अगर कोई हो, बकाया/डिफ़ॉल्ट की गई EMI, प्रभारों, शुल्कों, लागतों, व्ययों इत्यादि का पहले पूर्ण पुनर्भुगतान करेगा;

(द) किसी भी प्रकृति के कोई भी मुकदमे, कार्रवाइयां या दावे नहीं किए जाते हैं, चाहे वे कोई भी हों, लंबित या दायर किए जाने वाले या कार्रवाई किए जाने वाले (चाहे वे नागरिक या आपराधिक या अन्यथा हों)

(ध) इस अनुबंध के और ऋण से संबंधित दस्तावेज़ों के संबंध में सभी शर्तों का पालन करेगा और स्वयं को समय-समय पर इस ऋण से संबंधित सभी नियमों और शर्तों, प्रतिज्ञाओं से अवगत करेगा,

(न) उस बात को स्वीकार करता है और वचन देता है कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या उसकी अनुमति नहीं देगा, जिससे कथित वाहन का पंजीकरण निलंबित या रद्द हो जाए.

(फ) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कोई कार्य करने का कारण उत्पन्न नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप वाहन को कानून के तहत अधिकारी दवारा रोका या जब्त किया जाए.

(ब) वाहन की दुर्घटना होने, चोरी या अन्यथा के कारण उसकी हानि या क्षति होने की स्थिति में तत्काल बीमा कंपनी को सूचित करेगा और वाहन के पूर्ण बीमा मूल्य को प्राप्त करने के लिए उसकी मरम्मत या पुनर्प्राप्ति हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा और साथ ही "BAF" को ऐसी दुर्घटना के घटित होने की सूचना देगा और कानून के लिए आवश्यक ऐसी सभी कार्रवाइयां और औपचारिकताएं पूर्ण करेगा जो बीमा कंपनी के समक्ष दावे के निपटाने के लिए आवश्यक हैं और यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन की सुरक्षा को किसी भी तरीके से खतरा उत्पन्न न हो.

7.2 ऋणी यह वारंटी देते हैं कि वह/वे "BAF" को दिए गए आगामी-दिनांकों के चेक के भुगतान/क्लियरेंस के लिए या "BAF" के पक्ष में ECS निर्देशों का पालन होने के लिए, आदेशक बैंक के खाते में आवश्यक पर्याप्त शेष राशि हर समय बनाए रखेंगे. ब्याज की राशि की गणना के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के कारण ऋणी को EMI का भुगतान रोकने का अधिकार नहीं मिलता है.

7.3 अगर कोई चेक या ECS अधिकार-पत्र अनादृत हो जाता है, तो अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए अनुसार ऋणी के खाते पर अनादरण शुल्क लगाया/डेबिट किया जाएगा और यह शुल्क इस दिनांक तक अद्यतित निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट 1881 की धारा 138-142 के तहत या भुगतान और निपटान प्रणालियां अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के BAF के अधिकारों के अतिरिक्त और उन पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न किए बिना होगा.
"BAF", इस ऋण-सुविधा के संबंध में यह कार्य करेगा:

8. "BAF" के अधिकार:

"BAF", इस ऋण-सुविधा के संबंध में यह कार्य करेगा:

क. उसे ऐसा कोई भी भुगतान प्राप्त करने और समायोजित करने का अधिकार है, जो उसे वाहन के संबंध में बीमा के असाइनी के रूप में इस अनुबंध के तहत ऋणी द्वारा बकाया और/या भुगतान योग्य राशि के संबंध में प्राप्त होता है;

ख. उसे वाहन की स्थिति का निरीक्षण करने, उसकी जांच करने और उसे बताने का अधिकार है और ऋणी, "BAF" के अधिकारियों को हर उचित समय पर वाहन का और बीमा पॉलिसी सहित वाहन से संबंधित दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने, जांच करने और उसकी स्थिति बताने की अनुमति देगा/ऐसा करने देगा और/या उसे BAF के निरीक्षण के लिए और इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत करेगा, उसे निरीक्षण, जांच और वाहन पर फिर से कब्जा करने (इस अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में) के उद्देश्य से उस परिसर में अप्रतिबंधित रूप से प्रवेश करने का अधिकार है, जिसमें वाहन को रखा गया है;

ग. "BAF" के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न किए बिना, ऋण अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में, जिसमें भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट होने या "BAF" की जमानत उदा. "BAF" के पक्ष में बंधक रखे गए वाहन को जोखिम उत्पन्न होने की स्थिति में, "BAF" के पास ऋण या देय राशियों की वसूली के लिए बकाया स्वयं या उसके एजेंटों या प्रतिनिधियों के माध्यम से वाहन का भौतिक कब्जा लेने का उसे बेच देने का या अन्यथा वाहन का व्यवहार करने का संपूर्ण अधिकार होगा. "BAF" को किसी भी घाटे का भुगतान करने का दायित्व ऋणी का होगा. इस अनुभाग की कोई भी शर्त, BAF के लिए वाहन को बेचने का दायित्व उत्पन्न नहीं करती है और BAF को ऐसी जमानत से स्वतंत्र रूप से ऋणी और गारंटीकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार होगा;

घ. उसे कथित वाहन के किसी भी पंजीकरण प्राधिकारी, बीमाकर्ता, निर्माता से या उसके डीलर/विक्रेता से कोई भी प्रपत्र, प्रमाणपत्र, पंजीकरण पुस्तिकाएं, बीमा पॉलिसी या अन्य कोई भी दस्तावेज़ लेने, प्राप्त करने, मांग करने और एकत्र करने का अधिकार है;

ङ. उसे ऋणी, उसके खाते, "BAF" के साथ संबंध और/या उसके द्वारा किए गए किसी भी डिफ़ॉल्ट (चाहे ऐसी जानकारी ऋणी द्वारा प्रदान की गई हो, या "BAF" द्वारा स्वयं प्राप्त की गई हो और चाहे वह पुनर्भुगतान के व्यवहार, रेटिंग या डिफ़ॉल्ट के बारे में हो) की सूचना उसके प्रधान कार्यालय, अन्य शाखा कार्यालयों, संबद्ध अधिकारियों, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, किसी भी पुनर्वित्त एजेंसी और साथ ही न्यायालयों या वैधानिक निकायों और ऐसे तृतीय-पक्षों के दिशानिर्देशों के अनुरूप उन्हें प्रकट करने का अधिकार है जिसे "BAF" अपने पूर्ण और अनन्य विवेक से उचित और उपयुक्त समझता है. "BAF" को ऋण-सुविधा और/या ऋणी के संबंध में तृतीय-पक्ष से ऐसी कोई भी जानकारी मांगने और प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे उपयुक्त लगती है; और

च. प्रकटीकरण उपबंध : ऋणी इस बात पर सहमत है, वचन देता है और पुष्टि करता है कि BAF, ऋणी की ऋण-चुकाने की क्षमता और अन्य जानकारी का निर्धारण करने के लिए ऋणी के पूर्व और मौजूदा ऋण और पुनर्भुगतान पैटर्न के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए क्रेडिट ब्यूरो की सेवा में संलग्न अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर सकता है; और यह कि BAF ऐसी कोई भी या सभी वित्तीय जानकारी अन्य वित्तीय एजेंसियों या किसी भी अन्य एजेंसी के साथ साझा करने के लिए स्वतंत्र होगा. ऋणी, बैंक/वित्तीय संस्थानों/क्रेडिट ब्यूरो/अन्य एजेंसियों द्वारा ऐसी जानकारी के उपयोग के लिए BAF को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा.

9. क) डिफ़ॉल्ट होने के ईवेंट.

"BAF", परिपक्वता के किसी भी स्वीकृत दिनांक पर ध्यान दिए बिना ऋणी को एक लिखित सूचना द्वारा ऋण के तहत बकाया ऐसी सभी धनराशियों की घोषणा कर सकता है (मूलधन, ब्याज, शुल्कों, व्ययों सहित) जो उस समय देय और भुगतानयोग्य होने वाली है और वह निम्न में से किसी भी एक या अधिक घटनाओं के घटित होने पर ("BAF" के पूर्ण स्वविवेक से) ऋण के निपटान के लिए "BAF" के पक्ष में रखी गई जमानत का प्रवर्तन कर सकता है ;

बुसान ऑटो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Bussan Auto Finance India Private Limited) के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

☞ **ऋणी** ✗ **सह-ऋणी** ✓ **गारंटीकृता**

(क) ऋणी द्वारा ऋण या किसी भी शुल्क, प्रभारों, लागतों का या EMI या उसके किसी भी भाग का उस तरीके से भुगतान करने में विफल रहना, जो यहां शामिल है या ऐसी किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल होना, जिसका भुगतान इसके तहत देय होने के बाद नहीं किया गया हो.

(ख) ऋणी का वाहनों का विवरण निर्दिष्ट स्वरूप में फ़ाइल करने में विफल होना; या

(ग) ऋणी का BAF को पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि प्रदान करने में विफल रहना;

(घ) ऋणी द्वारा इस अनुबंध के 30 दिनों की उपयुक्त अवधि के अंदर वाहन की RC पुस्तिका में बंधक-ऋण के पृष्ठांकन (BAF के पक्ष में) को प्रभावी बनाने में विफल रहना;

(ङ) ऋणी द्वारा BAF को यहाँ दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार डिलीवर किए गए या डिलीवर किए जाने वाले किसी भी PDC को बैंकर द्वार अभुगतानित लौटा दिया गया हो, चाहे वह ऋणी द्वारा भुगतान रोक देने के निर्देश के कारण या ECS अधिकार-पत्र का भुगतान नहीं होने सहित किसी भी कारण से हो;

(च) वाहन चोरी हो गया हो या किसी भी कारण से उसका पता नहीं लगाया जा सकता हो, BAF की राय में उसकी संपूर्ण हानि हो गई हो;

(छ) ऋणी यहां दिए गए नियमों और शर्तों के अनुरूप, समय पर बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करने में, बंधक-ऋण वाहन के लिए BAF के पास नवीनीकृत पॉलिसी की प्रति जमा करने में विफल रहता है;

(ज) ऋणी, यहां दिए गए नियमों और शर्तों के अनुरूप अनादृत किए गए PDC के बैंक प्रभारों का भुगतान करने में विफल रहता है;

(झ) BAF की राय में ऐसी कोई भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे इस अनुबंध के तहत बंधक-ऋण रखे गए वाहन के लिए खतरा होने की संभावना हो या उसमें BAF के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होने का उचित आधार हो.

(ञ) ऋणी इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व का भुगतान करने या पालन करने में डिफ़ॉल्ट होता है या इस "BAF" के पक्ष में इस अनुबंध के तहत या जमानत दस्तावेज़, वचन-पत्र इत्यादि के तहत निष्पादित किसी भी अन्य दस्तावेज़ के किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन करता है;

(ट) अगर ऋणी, "BAF" की पूर्व लिखित सहमति के बिना, "BAF" के प्रति ऋणी के अन्य दायित्वों की जमानत के लिए किए गए प्रभार को छोड़कर वाहन पर कोई भी प्रभार, बंधक-ऋण, ग्रहणाधिकार या अन्य भार निर्मित करने का प्रयास करता है या ऐसे उद्देश्य से कार्य करता है, जो कि कथित देय राशियों के पुनर्भुगतान के लिए जमानत है, या होगी;

(ठ) "BAF" की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर व्यवसाय में हानि, व्यवसाय के अधिग्रहण/विघटन, समामेलन या पुनर्निर्माण होना, ऋणदाताओं के हित के लिए सामान्य असाइनमेंट करना अगर ऋणी किसी भी लेनदार के भुगतान को निलंबित करता है या ऐसा करने की धमकी देता है, ऋणी के विरुद्ध व्यवसाय समाप्त करने की कोई भी याचिका दायर की जाती है,

(ड) ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए ऋणी द्वारा यहां प्रदान किए गए उसके/उनके प्रतिनिधित्वों, वारंटियों की दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के कारण गलत या असत्य हो जाती है;

(ढ) अगर ऋणी की संपूर्ण संपत्ति/संपदाओं या उसके किसी भाग के संबंध में प्राप्तकर्ता की नियुक्ति की जाती है या यदि ऋणी के विरुद्ध अटैचमेंट, संकट, निष्पादन या अन्य कार्रवाई की जाती है या किसी भी जमानत का प्रवर्तन कराया जाता है या उस पर प्रभार लगाया जाता है;

(ण) ऋणी के विरुद्ध अटैचमेंट, संकट, निष्पादन या अन्य कार्रवाई के कारण या किसी भी जमानत को प्रवर्तित किया जाता है या उस पर प्रभार लगाया जाता है;

(त) "BAF" को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति, ऋणी को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू करता है या अगर ऋणी ऋणशोधन में अक्षम या दिवालिया हो जाता है या दिवालिया होने का कार्य करता है;

(थ) अगर वाहन नष्ट हो जाता है, उसकी बिक्री, निपटान, किसी अन्य को दे दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है या उसे किसी भी प्रकार प्रतिबंधित किया जाता है;

(द) ऋणी, यहां किए गए प्रावधान के अनुसार जमानत करने में विफल रहता है;

(ध) ऋणी की संरचना या प्रबंधन में कोई ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव घटित होने पर, जो कि BAF के हितों के लिए हानिकारक या उन्हें जोखिम में डालता है, ऐसा "BAF" की पूर्व-लिखित सहमति के बिना किया गया हो या अगर प्रबंधन "BAF" के लिए विश्वासपात्र नहीं रह गया हो;

(न) अगर "BAF" को आवश्यकता होने पर ऋणी, "BAF" द्वारा ऋण के अंतिम उपयोग का विस्तृत विवरण प्रदान करने का अनुरोध किए जाने के 10 दिनों के अंदर "BAF" को ऋण के अंतिम उपयोग का विस्तृत विवरण प्रदान करने का ऐसा विवरण प्रदान नहीं कर पाता हो;

(प) अगर ऋणी वाहन को वाणिज्यिक या अवैधानिक उद्देश्य के लिए परिनियोजित करता है;

(फ) "BAF" विनियामक या किसी भी अन्य कारण से ऋण जारी रखने में असमर्थ हो या इसके लिए अनिच्छुक हो;

(ब) BAF और ऋणी के बीच हुए किसी अन्य अनुबंध के तहत ऋणी, इसके किसी भी दायित्व को पूर्ण करने की वचनबद्धता में डिफ़ॉल्ट होता है.

ख) डिफ़ॉल्ट (चूक) होने की घटना का नोटिस

अगर डिफ़ॉल्ट (चूक) होने की कोई घटना या ऐसी घटना घटित होती है, जो समय-सीमा समाप्त होने के बाद होती है या दोनों के कारण डिफ़ॉल्ट होने की घटना होती है, तो ऋणी, डिफ़ॉल्ट होने की ऐसी घटना को निर्दिष्ट करते हुए लिखित में इसकी सूचना तत्काल या ऐसी घटना के घटित होने के 15 दिनों में "BAF" को देगा.

ग) डिफ़ॉल्ट होने के परिणाम

I. ऊपर बताए अनुसार डिफ़ॉल्ट (चूक) होने की स्थिति में, किसी भी स्वीकृत परिपक्वता पर ध्यान दिए बिना, "BAF" को यह अधिकार होगा:

क) ऋण की संपूर्ण बकाया राशि की वसूली के लिए ऋण का निर्धारण करना और ऋण की मांग की सूचना भेजना;

ख) कानून के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार स्वयं या ऐसे वकील या अधिकृत प्रतिनिधि, एजेंसी इत्यादि के माध्यम से वाहन का कब्जा लेना, जिन्हें "BAF" द्वारा नियुक्त किया गया हो;

ग) विवाचन और समझौता अधिनियम, 1996 के अनुसार विवाचन की कार्रवाई आरंभ करना.

घ) ऐसी कोई भी कार्रवाई करना जो उसकी बकाया राशियों की वसूली और जमानती संपत्तियों के प्रवर्तन के लिए उसे अनुकूल लगती हैं.

II. ऋणी व्यक्ति को सूचना देना:

क. BAF, ऋणी के साथ स्वयं और/या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों या एजेंटों के माध्यम से लिखित और/या टेलीफ़ोनिक और/या व्यक्तिगत मौखिक संचार कर सकता है,

ख. BAF और/या उसके एजेंट और/या अधिकृत प्रतिनिधि, ऋणी के निवास स्थान पर या नवीनतम रूप से ज्ञात निवास स्थान पर या ऋणी द्वारा अनुरोधित किसी भी अन्य स्थान पर विज़िट कर सकते हैं,

ग. BAF, ऋण-अनुबंध में दिए गए निवास स्थान पर या ऋणी द्वारा BAF को उचित समर्थन दस्तावेज़ों के साथ लिखित में बताए गए नवीनतम पते पर लिखित रूप से उचित सूचना दिए बिना वाहन को फिर से कब्जे में लेने सहित कानूनी या वसूली की अन्य कार्रवाइयां शुरू नहीं कर सकता,

घ. BAF द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन को फिर से कब्जे में लेने की प्रक्रिया या ऐसी परिस्थितियों के लिए आवश्यक अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले बकाया राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी को 7 दिनों की सूचना दी जाएगी.

III. ऐसी परिस्थितियां जिनमें सूचना अवधि में छूट दी जा सकती है:

ऋणी को सूचना देने में, निम्न परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है

क) ऐसी कोई भी स्थिति होती हैं, जिससे BAF की राय में इस बात का पर्याप्त आधार बन जाता है कि बंधक रखे गए वाहन के लिए प्रतिकूल प्रभाव होने लगे या वह खतरे में आ जाए या इससे इस अनुबंध के तहत BAF के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या खतरा हो;

ख) अगर ऋणी, "BAF" की पूर्व लिखित सहमति के बिना, ऋणी के वाहन पर कोई प्रभार, बंधक या ग्रहणाधिकार या अन्य कोई बंधक-भार निर्मित करता है या ऐसा आशय निर्मित करता है, जो ऋणी के "BAF" के प्रति अन्य किसी भी दायित्व को छोड़कर कथित बकाया राशियों के पुनर्भुगतान के लिए जमानत है या होगी;

ग) ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए ऋणी द्वारा यहां प्रदान किए गए प्रतिनिधित्वों, वारंटियों में से कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है या गलत हो जाती है या असत्य हो जाती है या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए जाते हैं;

घ) अगर ऋणी वाहन को वाणिज्यिक या अवैधानिक उद्देश्य के लिए परिनियोजित करता है.

IV. वाहन को फिर से कब्जे में लेना:

फिर से कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ऋणी को लिखित सूचना भेजी जाएगी.
वाहन पर फिर से कब्जा, विवाचन और समझौता अधिनियम 1996 में निहित प्रावधानों के तहत या किसी भी सक्षम प्राधिकारी, जैसा कि मामला हो, उससे रिसीवर आदेश मिलने के बाद ही प्राप्त किया जाएगा.
न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार वाहन पर मिलने वाले कब्जे को बाधित नहीं करने उस पर आपत्ति नहीं जताने या उसका विरोध न करने की ऋणी की जिम्मेदारी है. BAF, ऋणी को वाहन की एक इन्वेंट्री शीट प्रदान करेगा.
BAF, वाहन पर फिर से कब्जा लेने के बाद वाहन की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारीपूर्वक देखभाल करेगा. वाहन पर फिर से कब्जा लेने के संबंध में सभी पूर्व और पश्चातवर्ती व्यय, ऋणी द्वारा वहन किए जाएंगे.
अगर आवश्यकता हो, तो BAF संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में पहले और बाद में सूचना दे सकता है.

V. वाहन का मूल्यांकन और बिक्री:

वाहन पर फिर से कब्जा लेने के बाद, ऋणी को 7 दिनों के अंदर सभी बकाया राशियों का भुगतान करने का एक अंतिम अवसर देते हुए एक बिक्री-पूर्व सूचना जारी की जाएगी.
अगर ऋणी कथन की सवीकृत शर्तों के अनुसार पूर्ण भुगतान कर देता है, तो भुगतान के वसूल हो जाने की शर्त के तहत वाहन वापस ऋणी को दिया जा सकता है.
अगर ऋणी, सूचना देने के दिनांक से 07 दिनों के अंदर या ऐसी कोई घटना होने पर दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत दिनांक से लेकर सभी बकाया देय राशियों और प्रभारों का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, तो "BAF" अपने एजेंटों या प्रतिनिधियों के माध्यम से नीलामी या ऑनलाइन नीलामी अथवा बिक्री, स्थानांतरण की प्रक्रिया या जैसा कि BAF स्वविवेक से उचित समझे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है.
फिर से प्राप्त किए गए वाहनों का मूल्यांकन कंपनी की मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा.
BAF, फिर से प्राप्त किए गए वाहन की बिक्री की राशि का उपयोग, कंपनी की पॉलिसी के अनुसार बकाया राशियों/प्रभारों की पूर्ति के लिए करेगा. अगर वाहन की बिक्री से प्राप्त राशि से सभी बकाया राशियों और/या प्रभारों का समायोजन करने के बाद अधिशेष राशि बचती है, तो उस राशि का भुगतान ऋणी के अनुरोध पर उचित समय में उसे चेक और/या मांग ड्राफ़्ट द्वारा कर दिया जाएगा.
हालांकि, अगर विक्रय की राशि सभी बकाया राशियों और/या प्रभारों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं हो, तो किसी भी अधिकार पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना BAF द्वारा ऋणी से शेष राशि की वसूली की जाएगी.

VI. वाहन की स्वैच्छिक सुपुर्दगी:

ऋणी "BAF" द्वारा निर्धारित तरीके और स्वरूप के अनुसार उचित रूप से हस्ताक्षरित समर्पण पत्र प्रदान करेगा.
समर्पित किए गए वाहनों का मूल्यांकन कंपनी की मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा.
BAF, अपने एजेंटों या प्रतिनिधियों के माध्यम से समर्पित किए गए वाहन की नीलामी या ऑनलाइन नीलामी या बिक्री, स्थानांतरण की प्रक्रिया में या जैसा कि BAF अपने स्वविवेक से उचित समझे, उसके अनुसार प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई कर सकता है.
BAF, समर्पित किए गए वाहन की बिक्री की राशि का उपयोग, कंपनी की पॉलिसी के अनुसार बकाया राशियों/प्रभारों की पूर्ति करने में करेगा. अगर वाहन की बिक्री से प्राप्त राशि से सभी बकाया राशियों और/या प्रभारों का समायोजन करने के बाद अधिशेष राशि बचती है, तो उस राशि का भुगतान ऋणी के अनुरोध पर उचित समय के भीतर उसे चेक और/या मांग ड्राफ़्ट द्वारा कर दिया जाएगा हालांकि, अगर विक्रय की राशि सभी बकाया राशियों और/या प्रभारों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं हो, तो BAF के किसी भी अधिकार पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऋणी से शेष राशि की वसूली की जाएगी.

VII. सामान्य

क) ऋणी वाहन/संपत्ति की वापसी "BAF" को "BAF" द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर बाद में ऋणी द्वारा किए गए सभी अटैचमेंट/संयोजनों इत्यादि सहित उसी स्थिति में करने के लिए बाध्य होगा, जिस स्थिति में उसे ऋणी को मूल रूप से डिलीवर किया गया था, हालांकि सामान्य घिसाई स्वीकार्य है.

ख) ऋणी इस बात पर सहमति देता है कि वह "BAF" या न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को ऊपर बताए अनुसार वाहन का फिर से कब्जा लेने से नहीं रोकेगा या उसमें बाधा नहीं डालेगा.

ग) ऋणी, वाहन पर कब्जा लेने के लिए वाहन पर कब्जा लेने को प्रभावी बनाने और उसे सुरक्षित बनाए रखने इत्यादि के लिए किए गए विभिन्न प्रभारों जैसे "BAF" द्वारा भुगतान किए गए लदान करके ले जाने के शुल्क, गोडाउन शुल्क, किराए और अन्य व्यय का भुगतान करने के लिए दायी होगा. ऋणी "तत्काल होने वाली किसी भी कमी के लिए "BAF" को भुगतान करने के लिए दायी होगा.

घ) ऋणी, उसे "BAF' द्वारा दी गई कथित ऋण-सुविधा के एक पूर्व-शर्त के रूप में एतद्वारा इस बात पर सहमत होता है कि ऋणी द्वारा ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान या उसके ब्याज के पुनर्भुगतान में या देय दिनांक/दिनांकों तक ऋण सुविधा की सहमत किसी भी किस्त के पुनर्भुगतान में डिफ़ॉल्ट (चूक) होने की स्थिति में "BAF" ऋणी (ऋणियों) के नाम व्यक्तिगत रूप से, कंपनी/फ़ॉर्म इकाइयों और उसके निदेशकों/साझेदारों/स्वामियों के नाम डिफ़ॉल्टर के रूप में ऐसे तरीके से प्रकट करने या प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसे "BAF" अपने पूर्ण स्वविवेक से उचित समझता है.

ङ) यहां निहित शक्तियों के क्रियान्वयन में "BAF' ऐसी किसी भी हानि के लिए बाध्यकारी या दायी नहीं होगा, जो ऋणी को ऊपर उल्लिखित संपत्ति फिर से प्राप्त करने/फिर से कब्जा लेने के परिणामस्वरूप होते हैं.

च) ना तो "BAF" और ना ही उसके एजेंट, अधिकारी या नामांकित व्यक्ति किसी भी प्रकार से इसके लिए जिम्मेदार और/या दायी होंगे और ऋणी एतदवारा इस बात की सहमति देता है कि वह "BAF' या उसके अधिकारियों, एजेंटों या किसी भी नामांकित व्यक्ति को ऐसी किसी भी हानि, क्षति सीमाओं या अन्यथा किसी भी वस्तु या आर्टिकल के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा, जिसे बंधक-ऋण रखे गए वाहन में उसका कब्जा लेते समय/फिर से प्राप्त करते या जब्त करते समय रखा गया हो.

10. असाइनमेंट और अंतरण.

10.1 "BAF" के पास (असाइनमेंट, जमानत पर रखने या अन्यथा द्वारा) ऋण और ऋण के तहत बकाया राशियों को पूर्ण या आंशिक रूप से या इस अनुबंध के तहत "BAF" के किसी भी अधिकार और दायित्व को या इससे संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज़ को किसी भी व्यक्ति/इकाई को ऐसे नियमों और शर्तों के तहत बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार है, जैसा कि "BAF" द्वारा अपने पूर्ण विवेक से ऋणी को कोई भी संदर्भ या सूचना दिए बिना प्राप्त है. ऐसी बिक्री, असाइनमेंट, प्रतिभूतिकरण या अंतरण, ऋणी के लिए बाध्यकारी होगा.

10.2 ऋणी, ऊपर उल्लिखित संपत्ति के विक्रय या अंतरण की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऋण का विक्रय या अंतरण किया जाता है, अपने ऋणदाता के रूप में स्वीकार करने पर और ऋण का पुनर्भुगतान ऐसे व्यक्ति को करने पर स्पष्ट रूप से सहमत है, जिसके लिए "BAF" द्वारा निर्देशित किया जाएगा

10.3 ऋणी को इस अनुबंध के तहत उसके अधिकारों या दायित्वों को आंशिक रूप से या पूरी तरह किसी अन्य व्यक्ति को असाइन करने का अधिकार नहीं होगा.

बुसान ऑटो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Bussan Auto Finance India Private Limited) के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	☞ **ऋणी**	✗ **सह-ऋणी**	✓ **गारंटीकृता**

11. पूर्व-अदायगी

"BAF" को ऋणी से ऋण की राशि पर अनुसूची में उल्लिखित दर से पूर्व-अदायगी दर की वसूली करने का अधिकार होगा, अगर ऋणी, पुनर्भुगतान की शर्तों से पहले खाता बंद करने उदा. अनुसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार ऋणी की समय सीमा पूरी होने से पहले ऋण राशि का पूर्व-भुगतान का निर्णय या आशय प्रकट करता है.

12. गारंटी

1. गारंटीकर्ता, एतद्वारा "BAF" को इसके तहत ऋणी द्वारा उसके/उनके दायित्वों की मांग किए जाने के 15 दिनों के अंदर देय राशियों और उनके साथ उन पर ब्याज और सभी शुल्कों के साथ उचित भुगतान और ऋणमुक्ति की अशर्त रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से गारंटी देते हैं, चाहे ऐसे व्यय "BAF" द्वारा ऋणी को ऋण सुविधा प्रदान किए जाने के इस दिनांक से पहले या उसके बाद किए गए हों, यह गारंटी, निरंतर तब तक जारी रहेगी, जब तक सभी दायित्वों का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता है.
गारंटीकर्ता की गारंटी, ऋणी के दायित्वों के साथ व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से है.
2. गारंटीकर्ता एतद्वारा इस बात पर सहमत होते हैं कि उनका दायित्व ऋणी के दायित्वों के साथ और BAF तथा उनके बीच समान रूप से विस्तृत है और उन्हें सभी बकाया राशियों के लिए BAF के प्रति मुख्य देनदार माना जाएगा.
3. गारंटीकर्ता इस बात पर स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि उन्हें किसी भी स्थिति में BAF के प्रति उनके दायित्वों से मुक्त नहीं किया जाएगा, जिसमें परिसीमन रहित रूप से निम्न स्थितियां शामिल हैं:
   - क. BAF और ऋणी (ऋणियों) के बीच इस अनुबंध या लेनदेन की किसी भी शर्त में उनकी सहमति के बिना कोई भी परिवर्तन होना
   - ख. BAF और ऋणी(ऋणियों) के बीच ऐसा कोई भी अनुबंध होने पर, जिसमें ऋणी को मुक्त किया जाता है या
   - ग. BAF द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या चूक के द्वारा जिसके कानूनी परिणाम के रूप में गारंटीकर्ता मुक्त हो जाते हैं,) या
   - घ. BAF द्वारा ऐसा कोई भी समझौता करने पर या ऋणी (ऋणियों) को समय देने का मुकदमा न चलाने का वचन देने पर या
   - ङ. BAF द्वारा जमानत खो देने पर और गारंटीकर्ता एतद्वारा ऐसे सभी सुनिश्चय संबंधी अधिकार छोड़ते हैं, जो उन्हें अन्यथा उपलब्ध होते हैं.
4. भुगतान करने का गारंटीकर्ता का दायित्व, इस बात पर ध्यान दिए बिना, कि क्या ऋणी को मांग की गई थी या उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, गारंटीकर्ता को BAF की ओर से लिखित सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के बाद या उसे पंजीकृत पोस्ट AD से डिस्पैच करने के 18 दिन बाद, जो भी पहले हो, वह शुरू होता है.
5. गारंटीकर्ता इस बात पर सहमति देता है, कि इस अनुबंध में निर्धारित विवाचन उपधारा गारंटीकर्ता को भी बाध्य करती है और यह कि गारंटीकर्ता उस विवाचन निर्णय से बद्ध है/हैं, जिसे विवाचक द्वारा दिया जाता है.
6. BAF इस गारंटीकर्ता को ऋणी के मुख्य दायित्व के साथ पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी भी व्यक्ति को (पूर्णतः या एक जमानत के रूप में) असाइन कर सकता है.

13. विविध

13.1 इस अनुबंध के तहत अधिकारों को प्रभावी रूप से प्रवर्तित करने के लिए "BAF" को सक्षम बनाने हेतु और ऋणी को दी गई ऋण सुविधा, ब्याज और उसके द्वारा भुगतान-योग्य अन्य धनराशि की वसूली के लिए, ऋणी, एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से "BAF" को वाहन को खरीदने के लिए दी गई/संवितरित की गई ऋण सुविधा के संबंध में उसके अधिकारियों या एजेंटों या अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उचित और कानूनी एटॉर्नी के रूप में ऐसी सभी कार्रवाइयां, क्रियाएं और कार्य निष्पादित करने/करने के लिए नामांकित, निर्धारित, नियुक्त करता है, जिनमें यह शामिल है.: .

क) कथित वाहन को अंतरित करना उसकी बिक्री करना या उसका निपटान करना और सभी अनुबंधों, घोषणाओं और इंस्ट्रुमेंट पर हस्ताक्षर करना और उनका क्रियान्वयन करना, जो वाहन की डिलीवरी देने के लिए आवश्यक या अपरिहार्य हों.
ख) वाहन का फिर स कब्जा लेने और ऐसे किसी भी स्थानांतरण बिक्री या निपटान या पुनर्प्राप्ति जैसी कि स्थिति हो, के लिए ऐसे किसी भी एजेंट और/या ब्रोकर को नियुक्त या संलग्न करना.
ग) कथित वाहन का विक्रय करने पर उपयुक्त प्राधिकारी को उसके पंजीकरण हेतु सूचना देना.
घ) कथित वाहन के विक्रय, अंतरण, निपटान द्वारा प्रतिफल प्राप्त करना और उसके लिए उचित रसीद देना और उसका मान्य और प्रभावी समर्पण देना.
ङ) और आमतौर पर इन प्रदर्शित कार्यों से संबंधित और इनसे संबद्ध वे सभी कार्य, क्रियाएं और मामले पूरी तरह और प्रभावी रूप से क्रियान्वित व निष्पादित करना जो कि ऋणी के द्वारा इसे व्यक्तिगत रूप से, निष्पादित और क्रियान्वित करने के लिए किए गए थे.

13.2 कानून के तहत और इन प्रस्तुतियों के अंतर्गत "BAF" के लिए उपलब्ध अधिकारों, शक्तियों और उपायों को "BAF" उनके किसी भी कर्मचारी, एजेंट द्वारा लागू किया जाएगा और "BAF" अपनी किसी भी और सभी कथित शक्तियों और अधिकारों को ऐसे कर्मचारी या एजेंट को सौंप सकता है.

13.3 ऋणी, "BAF" के विरुद्ध, उनके द्वारा उठाए जाने वाले या उन पर इनसे या इनके संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली सभी कार्रवाइयों, दावों, लागतों, क्षतियों, मांगों, व्ययों, हानियों और दायित्वों के के संबंध में "BAF" को मांग करने पर बचाने और हानि रहित रखने और प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान करता है और इस पर सहमत होता है:

(क) इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन में ऋणी द्वारा की गई कोई भी विफलता और/या
(ख) तृतीय-पक्ष दायित्व सहित ऐसा कोई भी दायित्व जो ऋणी द्वारा या उनके किसी भी कर्मचारी या उनके एजेंटों या किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह कोई भी हो, वाहन को कब्जे में रखने, उसके परिचालन और उपयोग से उत्पन्न होता है, चाहे उसे कथित वाहन के ऐसे उपयोग के लिए ऋणी द्वारा अधिकृत किया गया हो या नहीं किया गया हो और वह उस उद्देश्य के लिए आकस्मिक हो और/या
(ग) ऋणी द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व और वारंटी के गलत या असत्य होने और/या "BAF" पर किए गए कोई भी दावे, हानियां, मांगें, कार्रवाइयां, लागतें, व्यय और दायित्व जो उनके द्वारा खर्च किए गए और उठाए गए हैं और/या ऐसे सभी दावे, हानियां, मांगें, लागतें, खर्च और दायित्व जो "BAF" द्वारा बंधक-ऋण रखे गए वाहन के किसी भी प्रभार या शुल्क से मुक्त नहीं होने के कारण किए गए हैं

13.3 किसी भी अन्य शर्त के लिए या इस अनुबंध के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पक्ष स्पष्ट रूप से इस बात पर सहमत हैं, कि ऋणी द्वारा "BAF" को इस अनुबंध के तहत किए गए भुगतान को इस "BAF" द्वारा निम्न क्रम में या जैसा कि वह ठीक समझे वसूला जाएगा-

क. लागतें, प्रभार और व्यय जिन्हें "BAF" द्वारा सेवा, प्रवर्तन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए खर्च किया गया है और इसलिए वह उन सभी ऋणों, ब्याज और सभी देय राशियों को पुनर्प्राप्त कर सकता है, जो इस अनुबंध के तहत ऋणी द्वारा "BAF" को देय और भुगतान योग्य हों.
ख. इस अनुबंध के तहत उपार्जित ब्याज, शुल्क
ग. ऋण की मूल राशि
घ. चूक हुई धनराशि पर ब्याज और डिफ़ॉल्ट की गई राशि/राशियों पर लाभ की हानि
ङ. पूर्व अदायगी प्रभार, बैंक प्रभार (चेक अनादरण प्रभार) और अन्य प्रभार जो देय और भुगतान योग्य हों,

13.4 पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस अनुबंध के और इससे संबंधित अन्य दस्तावेज़ों के तहत ऋण के ऋणदाता के रूप में अपने अधिकारों, शक्तियों या उपायों का क्रियान्वयन करने में "BAF" की ओर से किसी भी विलंब या चूक से उसके किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना ही इसे "BAF" द्वारा छूट या मुक्ति के रूप में माना जाएगा.

13.5 पक्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह अनुबंध और इससे संबंधित कोई भी अन्य दस्तावेज़, पक्षों के बीच एकल अनुबंध प्रदर्शित करते हैं.

13.6 यह अनुबंध पक्षों के बीच पहले की सभी चर्चाओं और प्रतिनिधित्वों को अधिक्रमित करता है और BAF" ब्रोशर, दायित्वों और संबंध में सहेजी गई किसी भी विषयवस्तु किसी भी पत्राचार, आवेदन प्रपत्र में या अन्यथा "BAF" द्वारा ऋणी के लिए किए गए या इसके लिए स्वीकार किए गए कथनों के संबंध में दायित्वों और प्रतिनिधित्वों के संबंध में सामग्री सहित उनकी विषय-वस्तु से असंगत है.

13.7 ऋणी, संशोधित अप-टु-डेट नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट 1881, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता या किसी भी अन्य फोरम के तहत किसी भी उपाय का अनुपालन करते समय ब्याज सहित किए गए सभी व्ययों के लिए भी दायी होगा.

13.8 पक्षों का पता, अनुसूची में उल्लिखित किया जाएगा. ऋणी और गारंटीकर्ता, किसी भी प्रभार की सूचना "BAF" को तुरंत उसके/उनके पते पर देंगे.

13.9 इस अनुबंध के तहत आवश्यक या अनुमत कोई भी सूचना या अनुरोध किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को केवल लिखित में दिया जाएगा और उसे अनुसूची में उल्लिखित दूसरे पक्ष के पते पर या इस अनुबंध के जारी रहने के दौरान (या ऋणी और गारंटीकर्ताओं को) दूसरे पक्ष के प्रदान किए गए पते पर "BAF") को ऋणी/गारंटीकर्ता के ज्ञात पिछले पते पर भेजा जाएगा:

(क) अगर यह "BAF" द्वारा दिया जाता है, तो इसे व्यक्तिगत डिलीवरी, फ़ैक्स या पोस्ट द्वारा दिया जा सकता है और इसे व्यक्तिगत डिलीवरी के माध्यम से दिए जाने पर ऋणी/गारंटीकर्ता को दिया गया और उनके द्वारा स्वीकार किया गया और पोस्ट द्वारा भेजे जाने पर इन्हें उसके/उनके पिछले ज्ञात पते पर/आगामी ट्रांसमिशन के लिए संशोधित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से डिस्पैच किए जाने के 3 दिन बीत जाने पर ऋणी/गारंटीकर्ता को दिया गया और उनके द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा
(ख) सभी पत्र-व्यवहार में, खाता नंबर और साथ ही पूर्ण पंजीकरण संख्या का उल्लेख भी ऋणी और गारंटीकर्ता (गारंटीकर्ताओं) को करना चाहिए.

13.10 ऋणियों का दायित्व, अगर वे एक से अधिक हों, संयुक्त और अलग-अलग होगा
इस ऋण के संबंध में ऋणियों का दायित्व संयुक्त और अलग-अलग होगा.

14. अप्रवर्तनीयता खंड

अगर इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान/खंड/उपखंड या उसका अनुप्रयोग किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए अमान्य या किसी भी सीमा तक किसी भी कानून या विनियम या सरकारी नीति सहित किसी भी कारण से अप्रवर्तनीय हो जाता है, तो उस व्यक्ति या परिस्थिति के लिए इस अनुबंध और ऐसे अनुप्रयोग को छोड़कर जिसके लिए उसे अमान्य या अप्रवर्तनीय माना गया है, शेष व्यक्ति या परिस्थिति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस अनुबंध का हर एक प्रावधान कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक मान्य और प्रवर्तनीय बना रहेगा.

15. मध्यस्थता

इस अनुबंध की व्याख्या या इसके क्रियान्वयन को नियंत्रित करने वाले सभी पहलुओं, इसकी और इससे संबंधित सुरक्षा और अन्य दस्तावेज़ों सहित इस अनुबंध या मान्यता या उसके नियमों और शर्तों के बाहर या इसके संबंध में यदि पक्षों के बीच कोई भी विवाद, दावा या मतभेद उत्पन्न होता है, तो उसका निपटान पक्षों के बीच सौहार्द से किया जाएगा. ऐसे निपटान में विफल रहने पर उसे BAF द्वारा नियुक्त पूर्ण विवाचक को विवाचन और समझौता अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय विवाचन काउंसिल के विवाचन के नियमों के अनुसार नियुक्त पूर्ण विवाचक को संदर्भित किया जाएगा और ऐसे पूर्ण विवाचक के निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा.

यह इस अनुबंध की एक शर्त है कि अगर ऐसे विवाचक, जिसे यह मामला मूल रूप से संदर्भित किया गया है, उसकी मृत्यु हो जाती है या वह किसी भी कारण कार्य करने में असमर्थ रहता है, तो BAF किसी अन्य व्यक्ति को विवाचक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा. ऐसे व्यक्ति को उस स्थिति से संदर्भ के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जिस पर उसे/उनके पूर्ववर्ती व्यक्ति द्वारा इसे छोड़ा गया था.

विवाचन की कार्रवाइयों का स्थान नई दिल्ली या BAF का शाखा कार्यालय होगा, जो भी ऐसे नियुक्त विवाचक के लिए सुविधाजनक/अनुकूल माना गया हो.

16. अधिकार-क्षेत्र

और ऊपर प्रदान नहीं किए गए सभी मामलों के लिए नई दिल्ली के न्यायालय या शाखा कार्यालय या केवल BAF का ही न्यायाधिकार क्षेत्र होगा.

भारत के कानून इस अनुबंध का और इससे संबंधित सुरक्षा और अन्य दस्तावेज़ों का नियंत्रण करेंगे.

स्वीकृति-

1/हम ऋणी और गारंटीकर्ता, जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं एतद्वारा यह घोषणा करते हैं, कि-

i. मैंने/हमने संपूर्ण अनुबंध पढ़ और समझ लिया है/इसे अनुसूची में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों सहित हमारे सामने पढ़ा गया है और मुझे/हमें मेरी/हमारी मातृभाषा में समझा दिया गया है और इसे मेरी/हमारी मौजूदगी में भरा गया है.
ii. मैंने/हमने इस अनुबंध की विषय-वस्तु का सत्यापन करने और उसे समझने के बाद इस पर हस्ताक्षर किया है/किए हैं.
iii. मैं/हम इस बात पर सहमत हैं और BAF को मुझसे/हमसे कोई भी संचार अंग्रेज़ी भाषा में लिखित में या अन्यथा करने की अनुमति देते हैं.

इसके साक्ष्य के रूप में यहां दिए गए पक्षों की मौजूदगी में इसका क्रियान्वयन/निष्पादन इसके बाद प्रदर्शित अनुसूची में लिखित दिन और वर्ष को प्रस्तुत किया गया.

ऋणी के लिए

☞ ऋणी	✗ सह-ऋणी	✓ गारंटीकृता

साक्षी:

हस्ताक्षर:	______________________	**हस्ताक्षर:**	______________________
नाम:	______________________	**नाम:**	______________________
पता:	______________________	**पता:**	______________________
			______________________

बुसान ऑटो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Bussan Auto Finance India Private Limited) के लिए
इनके हस्ताक्षर के साथ डिलीवर किया गया
बुसान ऑटो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Bussan Auto Finance India Private Limited) इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हाथों : श्री/सुश्री ______________________

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता